24.7.24 पत्रावली पेश हुई। स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में उभय पक्षकारान द्वारा बहस की जिसे सुना गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी ने कोलर हिल्स फर्म का पंजीयन सूक्ष्म उधोग के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा किया हुआ है। अप्रार्थी का उधोग कोलर हिल्स के नाम से रजिस्टर कराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के तहत पूर्व में राज0 सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 17.07.2019 के MSME के तहत किसी भी उधोग को धारा 6 के तहत 3 वर्ष की कला अवधि के छूट प्रदान की गई थी तत्पश्चात राज0 सूक्ष्म लधु और मध्यम उधोग अधिनियम 2023 गजट नोटिफिकेशन प्रमाणित कर धारा 6 के तहत पूर्व में जारी 3 वर्ष की छूट के स्थान पर 5 वर्ष की छूट प्रदान कर उसके अधिनियम में संशोधन किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार से राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 177 की अवहेलना नहीं हो रही है। जिससे उक्त प्रकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व अप्रार्थी द्वारा की गई बहस पर गहनता से मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अप्रार्थी का उधोग कोलर हिल्स के नाम से रिसोर्ट रजिस्टर कराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के तहत पूर्व में राज0 सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 17.07.2019 के MSME के तहत किसी भी उधोग को धारा 6 के तहत 5 वर्ष की कला अवधि के छूट प्रदान की गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार से राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 177 की अवहेलना नहीं की जा रही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नं0 से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)